राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 7(3)कार्मिक/क–2/95 पार्ट   जयपुर, दिनांक : 6 OCT 2017

परिपत्र

समस्त अति0 मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव

विषयः–कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.07.2017 के क्रम में दिशा–निर्देश।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.07.2017 के अनुसार प्रशासनिक विभागों के विभिन्न काडर पदों में 45 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां होने की स्थिति में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जहां कार्यानुभव 06 वर्ष से कम है, उनके लिए 02 वर्ष तक का शिथिलन दिये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा कार्मिक विभाग के मार्फत अथवा सीधे ही मुख्य सचिव महोदय को प्रकरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अतः अधिसूचना दिनांक 18.07.2017 के क्रम में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली उक्त बैठकों के लिए प्रशासनिक प्रकिया निर्धारित किया जाना आवश्यक हो गया है।

उक्त सम्बन्ध में समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा शिथिलन हेतु प्रस्ताव कार्मिक विभाग को निम्नानुसार निर्धारित फॉरमेट में ही प्रस्तुत किये जावें। कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण किया जाकर शिथिलन आवश्यक होने पर मुख्य सचिव महोदय से बैठक के आयोजन हेतु अनुरोध किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार बैठक के आयोजन हेतु सभी सम्बन्धितों को बैठक का नोटिस जारी एवं कार्यवाही विवरण तैयार करने का कार्य किया जाकर पत्रावली कार्मिक विभाग को प्रस्तुत की जावेगी ताकि समिति की अनुशंषा के क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

प्रशासनिक विभाग द्वारा अधिसूचना के अन्तर्गत शिथिलन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे :–

1. नियमानुसार नियमित डीपीसी के आयोजन से पूर्व ही शिथिलन के प्रस्ताव भिजवाये जावे।
2. फील्ड के महत्वपूर्ण पदों हेतु ही प्रस्ताव भिजवाये जावें।
3. जहां काडर में 20 (विशेष परिस्थितियों में गुणावगुण के आधार पर) से कम पद हों उन्हें विचारार्थ नहीं लिया जावे।

50/2017

4. जिन प्रकरणों में शिथिलन के कारण पारस्परिक वरिष्ठता में परिवर्तन होना संभावित है एवं लिटिगेशन की स्थिति बन रही है, उक्त प्रकरणों को सामान्यतः विचारार्थ नहीं लिया जावे।

5. अनुभव में छूट देने से निम्न पद पर स्वीकृत पदों के 45 प्रतिशत से कम कार्मिक कार्यरत रहने की स्थिति में सामान्यतः प्रस्ताव विचारार्थ नहीं लिये जावे।

6. लोकहित में उन्हीं प्रकरणों में विचार किया जाएगा जहां पर पदोन्नति अधिकारी की पदीय स्थिति के आधार पर फील्ड में कार्य संपादित हो रहे हैं।

प्रशासनिक विभाग द्वारा उक्त बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण करते हुए, निम्न तालिकानुसार सूचना कार्मिक विभाग को प्रस्तुत की जावे :-

क्र सं	पदनाम	कार्य की प्रकृति	काडर में कुल स्वीकृत पद	दिनांक 01.04.17 को उपलब्ध स्पष्ट रिक्त पद	वर्ष 2017-18 में अनुभव के बिना पदोन्नत होने वाले कार्मिकों की संख्या	नियमानुसार एक तिहाई अवधि की छूट (एक वर्ष) के आधार पर पदोन्नत होने वाले कार्मिकों की संख्या	मुख्य सचिव महो0 की समिति द्वारा अधिकतम दो वर्ष छूट दिए जाने पर पदोन्नत होने वाले कार्मिकों की संख्या	निम्न पद जिससे पदोन्नति होनी है, के स्वीकृत पद एवं रिक्त पद	
								स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

उक्त दिशा-निर्देशों की पालना अवश्यमेव सुनिश्चित की जावे।

(भास्कर ए.सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. रक्षित पत्रावली।

(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

50/2017

Guru ji//2017/Circular-2